सं0–1195 /IV-श0वि0–08–77(सा0)/06

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक– 19 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2008

विषय : नगर पालिका परिषद, श्रीनगर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2006–07 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 650/V-श0वि0–06–77 (सा0)/06, दिनांक 25–07–06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **नगर पालिका परिषद, श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल** के अन्तर्गत चार कार्यों हेतु रू0–297.87 लाख की लागत के आगणन के विपरीत रू0–233.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या 801/V–श0वि0–06– 66(सा0)/03 टी0सी0 दिनांक 29 मार्च, 2006 के द्वारा रू0 148.31 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, श्रीनगर के पत्र संख्या 207 दिनांक 29–05–2008 द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा प्रस्ताव के आधार पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार उक्त शासनादेश दिनांक 25–7–2006 के माध्यम से स्वीकृत चार कार्यो में से पूर्व स्वीकृत क्र0सं0 2 व 3 के कार्य की लागत क्रमश रू0 38.17 लाख तथा रू0 28.27 लाख अर्थात् कुल रू0 66.44 लाख के दो कार्यो हेतु अवमुक्त धनराशि के उपयोग के उपरांत समस्त अवशेष **रू0 24.74 लाख** (रूपये **चौबीस लाख चौहत्तर हजार मात्र**) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि **रू0 24.74** लाख (रूपये चौबीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्ते पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेगें।
2. शासनादेश सं0 650/V-श0वि0–06–77 (सा0)/06, दिनांक 25–07–06 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि तथा शासनादेश दिनांक 25–7–06 द्वारा स्वीकृत अन्य कार्यो को दिनांक 31–3–2009 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 722/XXVII(2)/2008, दिनांक– 9 सितम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0– (1)/IV-श0वि0–08,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड , देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के
9. जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, **श्रीनगर।**
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 1195 /IV-श0वि0–08–77(सा0)/06 दिनांक 19 सितम्बर, 2008 का संलग्नक

क्र0सं0	पूर्व स्वीकृति का क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमोदित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	शेष अवमुक्त धनराशि
1–	2	नये बस स्टैण्ड से निरंकारी सत्संग भवन तक सी0सी0 टाईल सड़क, फुटपाथ, सुरक्षा रेलिंग, नाली एवं ह्यूम पाईप नाले का निर्माण	60.75	45.56	15.19
2–	3	वार्ड नं0–9 में अलकनन्दा नदी के किनारे बहुपयोगी पार्क एवं एप्रोच सड़क का निर्माण	38.17	28.62	9.55
		योग	**98.92**	**74.18**	**24.74**

(रूपये चौबीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)

आज्ञा से,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
अपर सचिव।